(b) if so, what are the details of the Convention?

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT AND PLANNING (SHRI GULZARILAL NANDA): (a) The I.L.O. adopted as early as in 1930, a Convention providing for the speedy elimination of Forced Labour except in cases where such labour was required to be performed under compulsory military service laws or as part of normal civic obligations. The Government of India have already ratified this Convention. An additional Convention for the immediate abolition of Forced Labour has been adopted by the International Labour Conference in June 1957.

(b) The Convention adopted in June 1957 lays down that Member States should take effective measures to secure the immediate and complete abolition of the following forms of forced or compulsory labour:—

(i) as a means of political coercion or education or as a punishment for holding or expressing views or views ideologically opposed to the established political, social or economic system;

(ii) as a method of mobilising and using labour for purposes of economic development;

(iii) as a means of labour discipline;

(iv) as a punishment for having participated in strikes;

(v) as a means of racial, social, national or religious discrimination.

यू० एन० सोशल कमीशन के सामने सामुदायिक विकास आन्दोलन को दृढ़ करने का प्रस्ताव

१८० श्री नवाब सिंह चौहान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामुदायिक विकास आन्दोलन को दृढ़ करने का प्रस्ताव जो भारत ने संयुक्त राष्ट्र संगठन के सोशल कमीशन के सामने गत मई मास में प्रस्तुत किया था, सर्वसम्मति से स्वीकृत कर लिया गया और यदि ऐसा है तो उसका अधिकृत रूप क्या है ; और

(ख) इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी और वे किन-किन देशों के थे ?

†[PROPOSAL TO STRENGTHEN COMMUNITY DEVELOPMENT CAMPAIGN BEFORE U N SOCIAL COMMISSION

180 SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the proposal to strengthen the Community Development Campaign which was brought forward by India before the United Nations Social Commission in May last, was unanimously adopted; if so, what is the authentic version of the same; and

(b) the number of members who adopted the proposal unanimously and the names of the countries to which they belonged?]

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु) : (क) जी हां ।

जिस प्रस्ताव को मिस्र, यनान (ग्रीस) भारत और नीदरलैंड्स ने रक्खा था और जिसे सामाजिक आयोग (सोशल कमीशन) ने पास किया था उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) सामाजिक आयोग में १८ सदस्य है । प्रस्ताव १७ वोटों से पास किया गया था । एक सदस्य गैर-हाजिर था । जिन देशों के प्रतिनिधि कमीशन पर थे उनके नाम ये है —

†[ ] English translation.

(१) बायलोरूसी सोवियत समाजवादी गणराज्य ।
(२) चीन ।
(३) कोलम्बिया ।
(४) चेकोस्लोवाकिया ।
(५) डोमिनिकन गणराज्य ।
(६) एक्वाडोर
(७) मिस्र ।
(८) फ्रांस ।
(९) यूनान ।
(१०) भारत ।
(११) नीदरलैंड्स ।
(१२) न्यूज़ीलैंड ।
(१३) फिलिपीन ।
(१४) स्पेन ।
(१५) स्वीडन ।
(१६) सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ।
(१७) ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त राज्य ।
(१८) संयुक्त राज्य अमरीका ।

सामुदायिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र सामाजिक कमीशन द्वारा पारित किया गया प्रस्ताव

प्रस्ताव ग—सामुदायिक विकास : विचारधाराओं तथा सिद्धान्तों पर रिपोर्ट और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा किये जाने वाले व्यावहारिक उपायों पर सिफारिशें ।

सामाजिक कमिशन

२१ फरवरी १९५७ को महासभा द्वारा सामुदायिक विकास पर पास किये गये प्रस्ताव पर, सामुदायिक विकास की विचारधाराओं तथा सिद्धान्तों पर महासचिव की रिपोर्ट पर, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा किये जानेवाले व्यावहारिक उपायों पर सिफारिशों और सामुदायिक विकास के सिद्धान्तों पर सरकारों की समालोचनाओं पर विचार करके,

यह सिफारिश करता है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् नीचे लिखा प्रस्ताव पास करे :

आर्थिक और सामाजिक परिषद्

२१ फरवरी १९५७ को महासभा द्वारा सामुदायिक विकास पर [जी० ए०/आर० ई० एस०/१०४२ (११)] पास किये गए प्रस्ताव को, महासचिव की रिपोर्ट (ई० सी० एन० ५/३२५) को, इस रिपोर्ट में संक्षेप में दिए गए विभिन्न सरकारों के विचारों को और सामाजिक कमीशन के ग्यारहवें अधिवेशन मे जो बहस हुई थी, उसको ध्यान में रखते हुए;

१. सामुदायिक विकास के आधारभूत सिद्धान्तों की बढ़ती हुई सूझबूझ, और विभिन्न रूपों में सामुदायिक विकास आन्दोलन के राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कार्य के आवश्यक माध्यम के रूप में आर्थिक और सामाजिक प्रगति को समुन्नत करने के लिए विशेषकर, अल्प-विकसित क्षेत्रों में बढ़ती हुई मान्यता को संतोष की दृष्टि से देखती है ;

२ परिषद् के नाम समन्वय पर प्रशासिका समिति की २० वी रिपोर्ट (ई०/२९३१) में निहित और महासचिव की वर्तमान रिपोर्ट में सम्मिलित, सामुदायिक विकास प्रक्रिया (कम्यूनिटि डेवेलपमेंट प्रोसेस) की सैद्धान्तिक और तकनीकी आवश्यकताओं और उसके आवश्यक रूप के आधुनिक गठन की सिफारिश करती है कि सभी सरकारें और अन्तर्राष्ट्रीय संगठन इस पर ध्यान दें ;

३. यह मानती है कि सामुदायिक विकास के क्षेत्र मे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जो सहायता सरकारों को देते है, वह दीर्घकालीन (योजना) के आधार पर गठित होनी चाहिए और इस उद्देश्य के लिए महासचिव की रिपोर्ट में लिखे प्रस्तावों का अनुमोदन करती है;

४. सदस्य सरकारों और अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी और ग़ैर-सरकारी संगठनों से सिफारिश करती है कि जहां तक व्यवहार सुलभ हो, सामदायिक विकास को समुन्नत करने और

इस उद्देश्य के लिये अन्तर्राष्ट्रीय कार्रवाई को सुदृढ़ करने के लिए नीचे लिखे क़दम उठाये जायं :

(क) विशिष्ट एजेंसियों और संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में काम करने वाले संगठनों के जो कार्यक्रम हैं उनके सम्बद्ध भागों की समन्वित कार्यवाही—इसमें हर देश की सामुदायिक विकास योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के नीचे जो संगठन काम करते हैं वे हैं—युनाइसेफ और दूसरी संस्थाएं जिन्हें सहायता और पुनर्वास के उपायों का काम सौंपा गया है ;

(ख) जो अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियां सरकारों को उनके सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के सामान्य अथवा विशेष स्वरूपों में सहायता करती हैं उनका ग्राम स्तर पर अधिक प्रभाव पूर्ण समन्वय करना—इस उद्देश्य के लिये जो कार्य कलाप द्विपक्षीय सहायता के अन्तर्गत आते हैं और गैर-सरकारी संगठनों के हैं उनका ध्यान रक्खा जाय ;

(ग) सामुदायिक विकास प्रक्रिया और सुसंतुलित सामुदायिक विकास कार्यक्रम की प्राथमिक आवश्यकताओं के आवश्यक तत्वों का और अध्ययन करना—विशेषकर, जहां इसका सम्बन्ध कर्मचारियों के प्रशिक्षण और उनके अधीक्षण से हो;

(घ) सामुदायिक विकास के सिद्धान्तों और कार्यक्रमों को नगर-क्षेत्रों में फैलाने की सम्भावनाओं पर और अनुसंधान करना ;

(ङ) सामान्य और तकनीकी स्वरूपों में सामुदायिक विकास प्रक्रियाओं और तकनीकी ढंगों की समझ-बूझ बढ़ाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलनों, गोष्ठियों, कारखानों और अध्ययन यात्राओं के गठन में सहायता देना और साथ ही सभी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाओं को स्थापित करना और समुन्नत करना। इन कर्मचारियों में वे दोनों शामिल हैं जिन्हें अदायगी की जाती है और जो स्वेच्छा से काम करते हैं और जिनका सम्बन्ध आयोजन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम से रहता है ;

(च) परिषद् के प्रस्ताव ५८५ग (२०) के पैरा ५ में सुझाए गए सामुदायिक विकास के विशेष स्वरूपों की खोज और उनके प्रकाशन के कार्यक्रमों को शुरू करना और उसमें सहायता देना—और १९५७–५८ के लिए सामाजिक कमीशन के कार्यकारी कार्यक्रम में सहायता देना। इस उद्देश्य के लिए अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संस्थाओं के संसाधनों को ध्यान में रखना और उन्हें अधिक से अधिक सम्भव सीमा तक उपयोग में लाना।

५. महासचिव से प्रार्थना करती है कि वह संबद्ध विशिष्ट एजेंसियों के सहयोग से कमीशन के अगले अधिवेशन तथा परिषद् के अगले आने वाले अधिवेशन की तैयारी को और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में सभी ठोस उपायों की प्रगति पर रिपोर्ट दे। इस रिपोर्ट में आगे की कार्रवाई के लिए आवश्यक सिफारिशें शामिल होनी चाहियें।

†[THE PRIME MINISTER AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI JAWAHARLAL NEHRU): (a) Yes, Sir. A copy of the resolution sponsored by Egypt, Greece, India and Netherlands and adopted by the Social Commission is placed on the Table of the House.

(b) The Social Commission has 18 members. The resolution was adopted by 17 votes. One member was absent. The names of the countries represented on the Commission are:

1. Byelorussian Soviet Socialist Republic.
2. China.
3. Colombia.
4. Czechoslovakia.
5. Dominican Republic.
6. Ecuador.
7. Egypt.
8. France.

†[ ]English translation.

9. Greece.
10. India.
11. Netherlands.
12. New Zealand.
13. Philippines.
14. Spain.
15. Sweden.
16. Union of Soviet Socialist Republics.
17. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
18. United States of America.

Resolution adopted by the U.N. Social Commission on Community Development.

RESOLUTION

COMMUNITY DEVELOPMENT—REPORT ON CONCEPTS AND PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS ON FURTHER PRACTICAL MEASURES TO BE TAKEN BY INTERNATIONAL ORGANISATIONS

The Social Commission, having considered the Resolution on Community Development adopted by the General Assembly on 21 February 1957, the Report of the Secretary-General on Concepts and Principles of Community Development and Recommendations on Further Practical Measure to be taken by International Organizations and comments of Governments on the Principles of Community Development.

Recommends that the Economic and Social Council adopt the following resolution:—

The Economic and Social Council, bearing in mind the resolution on community development [GA/RES/1042 (XI)]adopted by the General Assembly on 21 February 1957, the report of the Secretary-General (E|CN.5|325), the views of different Governments as summarized in this report and the discussion that took place in the Social Commission at its eleventh session,

1. *Notes with satisfaction* the growing understanding of the basic principles of community development, and increasing recognition of the community development movement, in its different forms, as an essential instrument of national and international action, particularly in the underdeveloped regions, for promoting economic and social progress;

2. *Commends* the latest formulation of the essential character and requirements of the principles and techniques of the community development process, embodied in the twentieth Report of the Administrative Committee on Co-ordination to the Council (E|2931) and incorporated in the present report of the Secretary-General, to the attention of all Governments and international organizations;

3. *Recognizes* that assistance by international organizations to Governments in the field of community development should be organised on a long-term basis and endorses the proposals contained in the Secretary-General's report to this end;

4. *Recommends* to Member Governments and international governmental and non-governmental organizations, so far as may be practicable, the following steps to improve community development and strengthen international action for this purpose:

(a) The co-ordinated operation, with special emphasis on their bearing upon community development plans in each country, of the relevant parts of the programmes of the specialised agencies and of the organizations functioning under United Nations aegis, such as UNICEF and other bodies charged with measures of relief and rehabilitation;

(b) More effective co-ordination at the country level of the international agencies assisting Governments in general or particular aspects of their community development programmes, taking into account, for this purpose, the activities under bilateral assistance and of non-Governmental organizations;

(c) Further study of the essential elements of Community Development

process and of the prerequisites for a well-balanced Community Development programme particularly concerning training and supervision of personnel,

(d) Further exploration of the possibilities of extending the application of the principles and programmes of community development to urban areas,

(e) Initiation and assistance in the organisation of conferences, seminars, workshops and studied tours at international, regional and national levels to promote better understanding *of community development processes* and techniques, both in their general and technical aspects, as well as to establish and improve training facilities for all personnel, both paid and voluntary, concerned with the planning and execution of community development programmes,

(f) Initiation and assistance of programmes of research and publication on particular aspects of community development as suggested in paragraph 5 of resolution 585 C(XX), of the Council and in the work programme of the Social Commission for 1957-59, taking into account the resources of international, regional and national bodies that are available at the present time and utilizing these to the maximum extent possible for this purpose,

5 *Requests* the Secretary-General to prepare for the next session of the Commission and the next ensuing session of the Council, in co-operation with the specialized agencies concerned, a report on the progress of all significant measures in the field of community development The report should include recommendations for further action as may be necessary]

पाकिस्तान पुलिस द्वारा भारतीय कूटनीतिज्ञों के लाहौर में पकड़े गये सामान की वापसी

१८१ **श्री नवाब सिंह चौहान** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ९ मई की घटना के सिलसिले में पुलिस ने भारतीय कूटनीतिज्ञों का जो सामान लाहौर में अधिकृत कर लिया था, क्या वह उन्हें वापस कर दिया गया है ;

(ख) यदि ऐसा है तो वह कब वापस किया गया , और

(ग) यह सामान क्या क्या था ?

†[RESTORATION OF THE ARTICLES OF INDIAN DIPLOMATS SEIZED BY THE PAKISTANI POLICE AT LAHORE

181 SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the articles of Indian Diplomats seized by the Police at Lahore in connection with the incident of the 9th May, have since been restored to them,

(b) if so, when they were restored; and

(c) what were the details of the articles?]

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां ।

(ख) १ जून १९५७ को ।

(ग) इन चीजों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(१) रु० १४२-१-३ (पाकिस्तानी मुद्रा) ।
(२) दो रोल्ड गोल्ड की अंगूठियां ।
(३) एक हाथ घड़ी ।
(४) दो सिगरेट लाइटर ।
(५) एक टिन सिगरेट ।
(६) दो गुच्छे चाबियों के ।
(७) एक रूमाल ।
(८) एक मोटरकार ।
(९) एक हवाई डाक का लिफाफा
(१०) दो पासपोर्ट पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के ।

†[]English translation.